



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062022-236330
CG-DL-E-04062022-236330

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2452]
No. 2452]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2022/ज्येष्ठ 13, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2022/JYAISHTHA 13, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2022

का.आ. 2579(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार सड़क के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1568(अ) दिनांक 19 जून 2014 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II खंड 3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 20 जून 2014 की गई थी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

भारत सरकार की पूर्वोक्त अधिसूचनाओं में अनुसूचियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 के कि.मी. 86.057 से कि.मी. 133.922 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम				
1	2	3	4	5	6	7				
1	जॉइंट कलेक्टर, पलनाडु	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH565 के कि.मी.	आंध्र प्रदेश	पलनाडु	मचेर्ला	<table><tr><td>1</td><td>सागर राईट बैंक</td></tr><tr><td>2</td><td>सेवेन्थ माइल (विरंजनेयापुरम)</td></tr></table>	1	सागर राईट बैंक	2	सेवेन्थ माइल (विरंजनेयापुरम)
1	सागर राईट बैंक									
2	सेवेन्थ माइल (विरंजनेयापुरम)									

		86.057 से 133.922 तक				3 तल्लापल्ली 4 भयरनवानीपाडु 5 मचेर्ला 6 कोठापल्ली
					वेल्दूर्थी	1 मांदादी 2 उप्पलापाडु 3 वेल्दूर्थी 4 सिरिगिरीपाडु 5 दावूपल्ली

[फा. सं. RW/NH-37014/7/2014-NHDP-IVA]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2022

S.O. 2579(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notifications of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1568(E), dated the 19th June 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June 2014 namely:-

The Schedules in the aforementioned notifications of the Government of India shall be substituted as follows:

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of National Highway No. 565 in the State of Andhra Pradesh in the stretch from Km. 86.057 to Km. 133.922.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Joint Collector, Palnadu	86.057KM To 133.922KM	ANDHRA PRADESH	Palnadu	Macherla	1 Sagar Right Bank 2 7th mile (Veeranjaneyapuram) 3 Tallapalli 4 Bhynnavanipadu 5 Macherla

						6 Kothapalli
					Veldurthi	1 Mandadi
						2 Uppalapadu
						3 Veldurthi
						4 Sirigiripadu
						5 Davupalli

[F. No. RW/NH-37014/7/2014-NHDP-IVA]

RAJESH GUPTA, Director